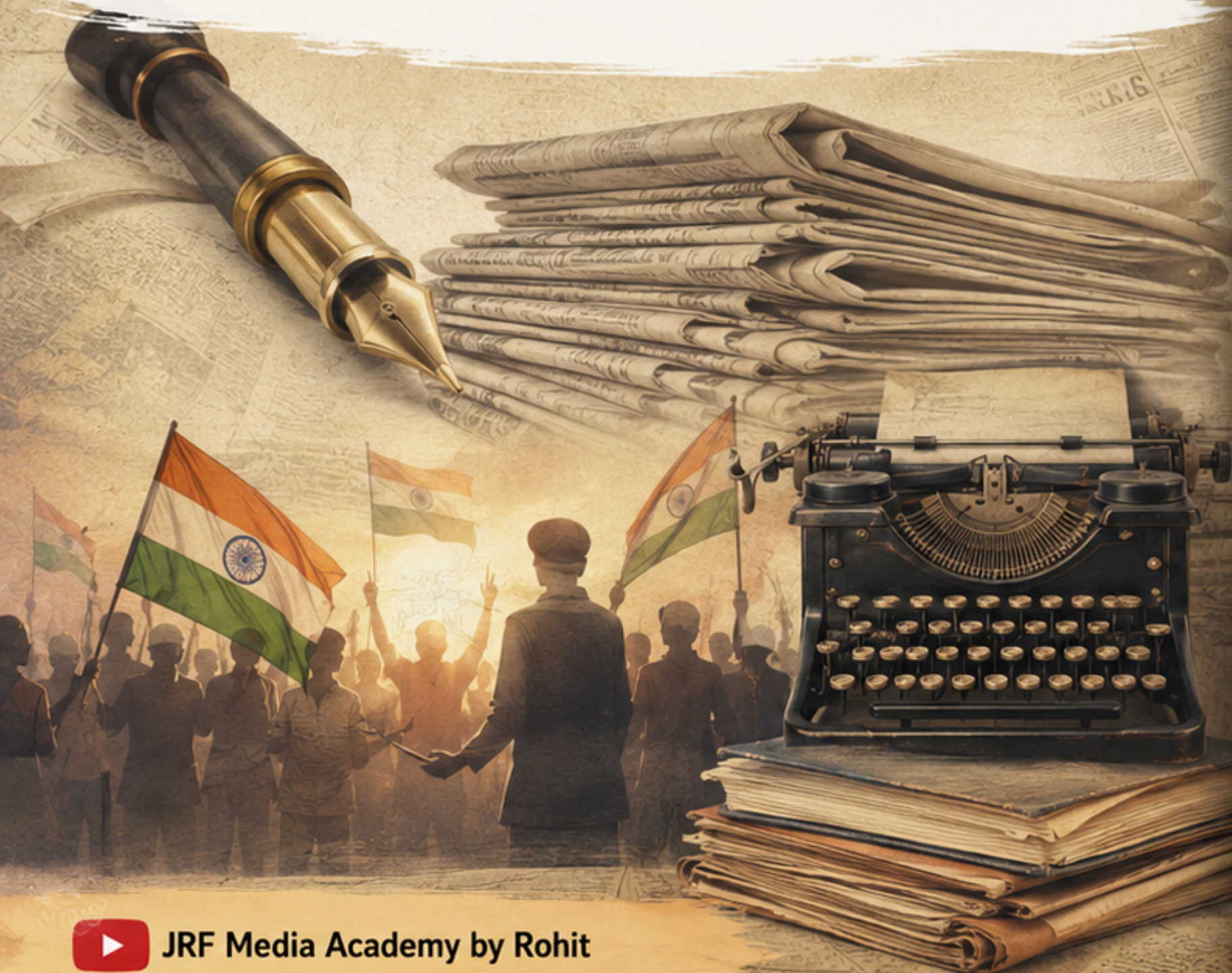


Press Commissions



- Before independence, the majority of the Nationalist press actively contributed to the **freedom struggle** against the British government as a mission.
- However, after independence, the press faced a **lack of clear objectives**.
- Many owners and editors began viewing the press as a tool for their **personal interests**.
- Instances of **defamatory writing targeting communities or groups, indecency, vulgarity, and personal attacks** on individuals became prevalent.
- The press engaged in **yellow journalism**.
- Therefore, there was a necessity to assess the state of the press to **curb malpractices and uphold professional standards**.

- स्वतंत्रता से पहले, अधिकांश राष्ट्रीयवादी प्रेस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में मिशन के रूप में सक्रिय योगदान दिया।
- हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, प्रेस के सामने स्पष्ट उद्देश्यों की कमी थी।
- कई मालिकों और संपादकों ने प्रेस को अपने व्यक्तिगत हितों का उपकरण मानना शुरू कर दिया।
- समुदायों या समूहों को लक्षित करने वाली मानहानिकारक लेखन, अश्लीलता, अपशब्द, और व्यक्तियों पर व्यक्तिगत हमले के मामले आम हो गए।
- प्रेस ने पीले पत्रकारिता में संलग्न किया।
- इसलिए, प्रेस की स्थिति का मूल्यांकन करने, कदाचारों पर अंकुश लगाने और पेशेवर मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता थी।

The first Press Commission was established in 1952.



Rohit Yadav

PhD Scholar at
Central University of Rajasthan

JRF Media Academy



UGC-NET PAPER 1

FULL COURSE

✓ Let's Find Out Every Concept in Detail.



COMPLETE SYLLABUS – TOPIC WISE



LATEST PYQ's WITH DETAILED SOLUTIONS



TOPIC-WISE VIDEO LECTURES



HINDI & ENGLISH



MASS COMMUNICATION
PAPER 2

FULL COURSE



UGC-NET by **Rohit**

UGC-NET Paper 1 Complete Syllabus with
Latest PYQ's Solutions.

Need of the First Press Commission: प्रथम प्रेस आयोग की आवश्यकता:

- 1) to secure freedom of speech and expression
अभिव्यक्ति और बोलने की
आज़ादी सुनिश्चित करना



- 2) to curb yellow journalism, sensationalism, malicious attacks on public men, indecency and vulgarity, bias in the presentation of news, and lack of responsibility.
पीली पत्रकारिता, सनसनीखेज़ी, लोक-
सेवकों पर दुष्प्रचार, अश्लीलता, पक्षपात,
और गैर-जिम्मेदारी पर अंकुश लगाना।



- 3) to inquire about the control, management ownership, the financial structure as well as other important aspects of the newspaper industry in the country.
समाचार पत्र उद्योग में नियंत्रण,
प्रबंधन, स्वामित्व, वित्तीय संरचना
और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की
जांच करना।



Recommendations of the First Press Commission

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशें

- 

1. To protect the freedom of the press and to maintain high standards of journalism, a **Press Council should be established.**
प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और उच्च पत्रकारिता मानकों को बनाए रखने के लिए, एक प्रेस परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
- 

2. To prepare the account of the press and the position of every year, there should be appointment of the **Registrar of Newspaper for India (RNI).**
प्रेस का वार्षिक लेखा-जोखा और स्थिति तैयार करने के लिए, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (RNI) की नियुक्ति होनी चाहिए।
- 

3. **Price-page schedule** should be introduced to protect the small newspapers from the fierce competition.
छोटे समाचार पत्रों को तीव्र प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मूल्य-पृष्ठ कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।
- 

4. For maintaining a cordial relationship between the government and the Press, a **Press Consultative Committee** should be constituted.
सरकार और प्रेस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, एक प्रेस परामर्श समिति गठित की जानी चाहिए।
- 

5. **Working Journalists Act** should be implemented.
कार्यरत पत्रकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए।
- 

6. It recommended establishment of a **fact-finding Committee** to evaluate the financial position of the newspapers and news agencies.
समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक तथ्य खोज समिति के गठन की सिफारिश की गई।
- 

7. For protecting the main principles of the freedom of the press and to help the newspapers against monopolistic tendencies, a **Newspaper Financial Corporation** should be constituted.
प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की रक्षा और समाचार पत्रों को एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों से बचाने के लिए, एक समाचार पत्र वित्त निगम का गठन किया जाना चाहिए।
- 

8. It had also recommended the conversion of the **PTI into a public corporation.**
यह भी सिफारिश की गई थी कि PTI को एक सार्वजनिक निगम में परिवर्तित किया जाए।
- 

9. There should be **indigenisation of both capital and the staff** especially at the higher levels and it was highly desirable that proprietary interests in publication should vest predominantly in Indian hands.
पूंजी और कर्मचारियों दोनों का स्वदेशीकरण, विशेषकर उच्च स्तरों पर, किया जाए और प्रकाशन में स्वामित्व संबंधी हित मुख्यतः भारतीयों के हाथों में हों, यह अत्यंत वांछनीय है।



ACHIEVEMENTS OF THE FIRST PRESS COMMISSION

प्रथम प्रेस आयोग की उपलब्धियाँ

-  **1955**
 - Working Journalists Act was accepted in 1955 by the working journalist and other newspaper employees (conditions of services) and the Miscellaneous Provisions Act was set up.
कार्यरत पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों (सेवा की शर्तों) के लिए 1955 में कार्यरत पत्रकार अधिनियम स्वीकृत किया गया और विविध प्रावधान अधिनियम स्थापित किया गया।
-  **1956**
 - Price-page was scheduled in 1956.
मूल्य-पृष्ठ की व्यवस्था 1956 में की गई।
- 
 - RNI was appointed in July 1956 to prepare an account of the publications and titles.
प्रकाशनों और शीर्षकों का विवरण तैयार करने के लिए जुलाई 1956 में आरएनआई को नियुक्त किया गया।
- 
 - Press council of India was established in the year 1966 to regulate the press.
प्रेस परिषद् ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1966 में प्रेस के नियमान के लिए की गई।
- 
 - A Fact Finding Committee on financial position of the newspapers and news agencies was set up on 14th April 1972. It submitted its report on 14th January 1975.
समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की वित्तीय स्थिति की जाँच के लिए 14 अप्रैल 1972 को एक तथ्य खोज समिति गठित की गई। इसने 14 जनवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 
 - The need of the Newspaper Financial Corporation was accepted in principle and on 4th December 1970, a Bill was also presented in the Lok Sabha, but it lapsed.
समाचारपत्र वित्तीय निगम की आवश्यकता को सिद्धांततः स्वीकार किया गया और 4 दिसंबर 1970 को लोकसभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका।





First Press Commission



1952



First Press Commission Setup

Justice G. S. Rajadhyaksha was the Chairman of the first Press Commission. It was constituted on 23rd September 1952 by the Ministry of Information and Broadcasting

न्यायमूर्ति जी. एस. राजाध्यक्षा पहले प्रेस आयोग के अध्यक्ष थे। इसका गठन 23 सितम्बर 1952 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया।

1954



Report Submitted

Report by first press commission was submitted on **14th July 1954.**

पहले प्रेस आयोग की रिपोर्ट 14 जुलाई 1954 को प्रस्तुत की गई।

1955



Working Journalists Act

Working Journalists Act was accepted in 1955 the working journalist and other newspaper employees (conditions of services) and miscellaneous Provisions Act was set up

1955 में कार्यरत पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबंध अधिनियम स्थापित किया गया।

1956



RNI

RNI was appointed in July 1956 to prepare an account of the publications and titles

प्रकाशनों और शीर्षकों का लेखा तैयार करने के लिए जुलाई 1956 में आरएनआई नियुक्त किया गया।



1956



Price-page was scheduled

Price-page was scheduled in 1955 to protect small newspapers later repealed

छोटे समाचार पत्रों की रक्षा के लिए मूल्य-पृष्ठ कार्यक्रम 1955 में निर्धारित किया गया, बाद में इसे निरस्त कर दिया गया।

1966



Press Council

PCI was established in 1966 by the Indian Parliament on the recommendations of the First Press Commission.

पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय संसद द्वारा 1966 में पीसीआई की स्थापना की गई।

1970



Newspaper Financial Corporation

The need of the Newspaper Financial Corporation was accepted in principle and on 4th December 1970, a Bill was also presented in the Lok Sabha, but it lapsed.

समाचार पत्र वित्तीय निगम की आवश्यकता को सिद्धांततः स्वीकार किया गया और 4 दिसम्बर 1970 को लोकसभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका।

1972-1975



Fact Finding Committee

A Fact Finding Committee on financial position of the newspapers and news agencies was set up on 14th April 1972. It submitted its report on 14th January 1975.

समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों की वित्तीय स्थिति पर तथ्य खोज समिति का गठन 14 अप्रैल 1972 को किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 14 जनवरी 1975 को प्रस्तुत की।



JRF Media Academy by Rohit



WORKING JOURNALISTS ACT 1955

कार्यरत पत्रकार अधिनियम, 1955



- The **Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955** regulates the conditions of service for working journalists and other newspaper employees.

कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1955 कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करता है।



- The first **Press Commission (1952-54)** made glaring observations about the unsatisfactory working conditions of journalists and their exploitation in the newspaper industry.

प्रथम प्रेस आयोग (1952-54) ने पत्रकारों की असंतोषजनक कार्य परिस्थितियों और समाचारपत्र उद्योग में उनके शोषण के बारे में गंभीर टिप्पणियाँ कीं।



- The act covers a wide range of issues, including: **Hours of work, Leave fixation, Wage rates, Termination of employment, and Grievance redressal.**

यह अधिनियम अनेक विषयों को शामिल करता है: कार्य के घंटे, अवकाश निर्धारण, वेतन दरें, रोजगार की समाप्ति, और शिकायत निवारण।



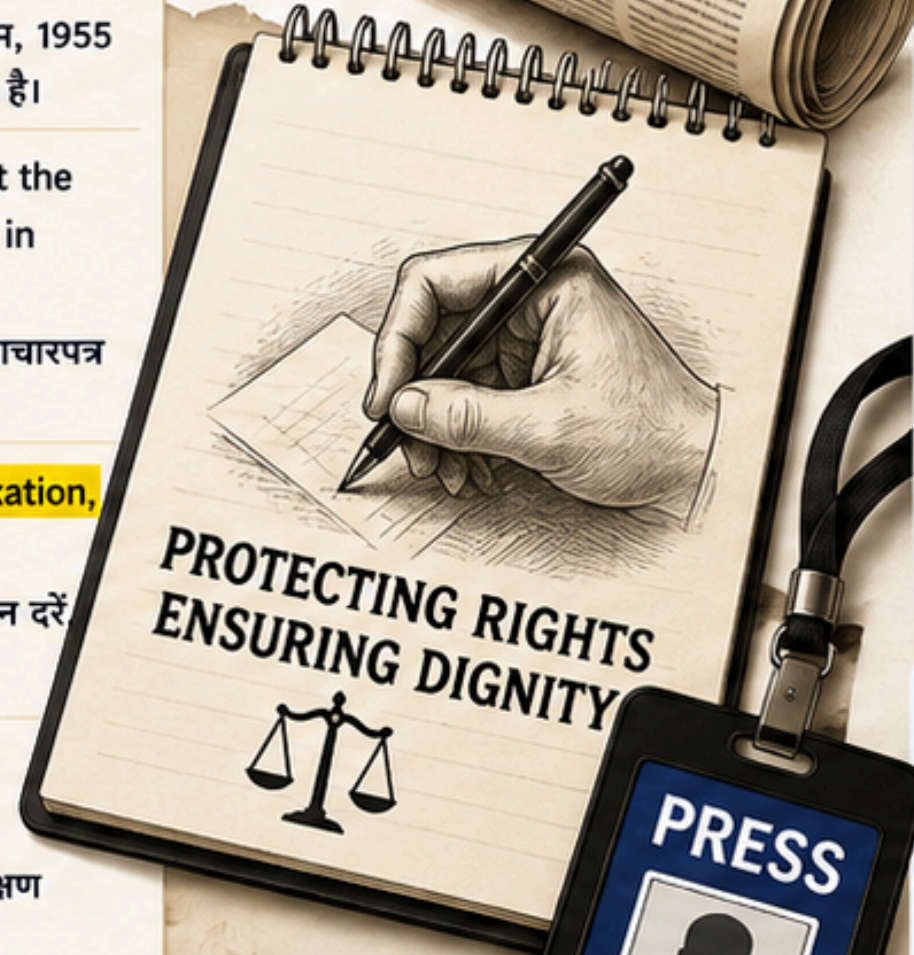
- The act also establishes **Wage Boards** to fix and revise the wages of journalists and other newspaper employees.

यह अधिनियम पत्रकारों एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा पुनरीक्षण के लिए वेतन बोर्डों की स्थापना भी करता है।



- The act aims to ensure that journalists and other newspaper employees receive **fair and reasonable conditions of service**, and that **their rights are protected.**

इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारों एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों को न्यायसंगत एवं उचित सेवा शर्तें प्राप्त हों तथा उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।



Its provisions relate mainly to

इसके प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं



(a) hours of work
(क) कार्य के घंटे



(b) leave
(ख) अवकाश



(c) fixation and revision of wages
(ग) वेतन का निर्धारण तथा पुनरीक्षण



(d) composition of wage boards
(घ) वेतन बोर्डों की संरचना



(e) employees provident fund
(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि



(f) recovery of money due from employer
(च) नियोक्ता से बकाया धन की वसूली



(g) retrenchment
(छ) छंटनी

Hours of Work · कार्य के घंटे



No working journalist shall be required or allowed to work in any **more than one hundred and forty-four hours** during any period of four consecutive weeks, exclusive of the intervals for meals.

किसी भी कार्यरत पत्रकार से किसी भी चार सप्ताह की लगातार अवधि में, भोजनावकाश को छोड़कर, सौ चवालीस घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा।



Every working journalist shall be allowed at least one consecutive period of rest for not less than ten consecutive hours, the period between **10 p.m. and 6 a.m.** being included therein.

प्रत्येक कार्यरत पत्रकार को कम से कम दस लगातार घंटों की निरंतर विश्रांति का अधिकार होगा, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे की अवधि शामिल होगी।



REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA



1



- It was established on **1 July 1956**, on the recommendation of the First Press Commission in 1953 and by amending the **Press and Registration of Books Act 1867**.

यह 1 जुलाई 1956 को प्रथम प्रेस आयोग की 1953 की सिफारिश पर तथा प्रेस एवं पंजीकरण अधिनियम 1867 में संशोधन करके स्थापित किया गया था।

2



- The registration of newspapers and other periodicals will be governed by the provisions of **Press & Registration of Periodicals Act, 2023**.

समाचार-पत्रों और अन्य आवधिक प्रकाशनों का पंजीकरण प्रेस एवं आवधिक प्रकाशन पंजीकरण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

3



- The new Act provides for an online system for registration of newspapers and other periodicals in the country called the **Press Sewa Portal**

नए अधिनियम में देश में समाचार-पत्रों और अन्य आवधिक प्रकाशनों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली, प्रेस सेवा पोर्टल का प्रावधान किया गया है।



JRF Media Academy by Rohit



THE NEWSPAPER (PRICES AND PAGES) ACT, 1956

समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956



- It gave the central government the power to regulate the prices of newspapers in relation to their pages and sizes, as well as the allocation of space for advertising.

इसने केंद्र सरकार को समाचारपत्रों के मूल्य को उनके पृष्ठों और आकार के संबंध में, तथा विज्ञापन के लिए स्थान के आवंटन को विनियमित करने की शक्ति दी।



- The act was enacted in accordance with the Press Commission's recommendations, with the goal of preventing unfair competition among newspapers and giving them more freedom of expression.

यह अधिनियम प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया, जिसका उद्देश्य समाचारपत्रों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना और उन्हें अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता देना था।



- However, **section 3** of the act, which empowered the central government to regulate prices, was struck down in the 1962 case ***Sakal Papers Pvt. Ltd. v. Union of India*** for violating Article 19(1)(a).

हालाँकि, अधिनियम की धारा 3, जिसने केंद्र सरकार को मूल्य विनियमित करने की शक्ति दी थी, को 1962 के मानले ***Sakal Papers Pvt. Ltd. v. Union of India*** में अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करने के कारण अमान्य कर दिया गया।



- As a result, no new orders can be issued under the act, and it has become obsolete.

परिणामस्वरूप, इस अधिनियम के तहत कोई नए आदेश जारी नहीं किए जा सकते, और यह अब अप्रचलित हो गया है।



- This statute empowers the Central Government to **regulate the price of newspapers** in relation to the number of pages and size and also to regulate the allocation of space to be allowed for advertising matter.

यह अधिनियम केंद्र सरकार को पृष्ठों की संख्या और आकार के संबंध में समाचारपत्रों के मूल्य को विनियमित करने तथा विज्ञापन सामग्री के लिए अनुमत स्थान के आवंटन को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है।



- According to the act, the newspaper company should charge the prices based on the number of pages i.e. if they publish more pages they should charge more.

अधिनियम के अनुसार, समाचारपत्र कंपनी को पृष्ठों की संख्या के आधार पर मूल्य निर्धारित करना चाहिए, अर्थात् यदि वे अधिक पृष्ठ प्रकाशित करते हैं तो उन्हें अधिक मूल्य लेना चाहिए।



- The Court held that the citizens' rights to propagate their ideas and to do so should be given the right of publishing and disseminating, and circulate the information. The citizen can propagate either orally or by writing and hence the right to propagate comes under the ambit of the Right to Freedom of Speech and Expression.

न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को अपने विचारों के प्रसार का अधिकार है और इसके लिए उन्हें प्रकाशित करने, प्रसारित करने और सूचना के प्रसार का अधिकार दिया जाना चाहिए। नागरिक मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से विचारों का प्रसार कर सकता है, इसलिए प्रसार का यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।



Members

सदस्य



Along with Justice G.S. Rajadhyaksha, it had a ten member team which had several prominent personalities and journalists which included:

न्यायमूर्ति G.S. राजाध्यक्ष के साथ, इसमें एक दस सदस्यीय टीम थी जिसमें कई प्रमुख व्यक्तित्व और पत्रकार शामिल थे:

1



Dr. C. P. Ramaswamy Aiyar
डॉ. सी.पी. रामस्वामी अय्यर

2



Acharya Narendra Dev
आचार्य नरेंद्र देव

3



Dr. Zakir Hussain
डॉ. जाकिर हुसैन

4



Dr. V.K.V. Rao
डॉ. वी.के.वी. राव

5



P.H. Patwardhan
पी.एच. पाटवर्धन

6



T.N. Singh
टी.एन. सिंह

7



Jaipal Singh
जयपाल सिंह

8



J. Natarajan
जे. नटराजन

9



A.R. Bhat
ए.आर. भाट

10



Chalapati Rau
चलपति राव



JRF Media Academy by Rohit

QUESTION 1

Members of the first Press Commission were -
प्रथम प्रेस आयोग के सदस्य थे -

- A. T. Ramarao
- B. A. R. Bhat
- C. P. K. Singh
- D. J. Natarajan
- E. T. N. Singh



Choose the correct answer from the options given below:

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. B, C and E

2. B, D and E

3. A, B and D

4. A, C and D

QUESTION 2

The major recommendations of the first press commission were
प्रथम प्रेस आयोग की प्रमुख सिफारिशों थीं

- A Abolition of State Trading Corporation
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का उन्मूलन
- B Establishment of a Press Council
प्रेस काउंसिल की स्थापना
- C Enactment of law for working Journalists
कामकाजी पत्रकारों के लिए कानून का निर्माण
- D Setting up of a body for newspaper registration
समाचारपत्र पंजीकरण के लिए एक निकाय की स्थापना
- E Restricting government advertisements to electronic media
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना

Options

1. A, B, C

2. B, C, D

3. C, D, E

4. A, C, E



QUESTION 3

Identify one of the key recommendations of the First Press Commission :
प्रथम प्रेस आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक की पहचान कीजिए :

- A Setting up of the office of Registrar of Newspapers of India
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय की स्थापना
- B Abolition of Press Council of India
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का उन्मूलन
- C Introduction of Article 19 (1) (A)
अनुच्छेद 19 (1) (A) का परिचय
- D Special privileges to newspaper owners
समाचारपत्र मालिकों को विशेष विशेषाधिकार



JRF Media Academy by Rohit

SECOND PRESS COMMISSION (1978/80-82)

द्वितीय प्रेस आयोग (1978/80-82)

1



The second Press Commission was established just **15 months** after the challenging period the Indian Press faced during the Emergency.

द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस द्वारा झेली गई चुनौतीपूर्ण अवधि के केवल 15 महीने बाद की गई।

2



The Janata Government in 1977 felt that a comprehensive inquiry was needed. The second Press Commission was appointed under **Justice P.K. Goswami**.

1977 में जनता सरकार ने महसूस किया कि एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। द्वितीय प्रेस आयोग की नियुक्ति न्यायमूर्ति पी.के. गोस्वामी के अधीन की गई।

3



Justice Goswami and his colleagues resigned again with the formation of a new Government after the elections of 1980. The Commission was reconstituted with **Justice Mathew** as Chairman with fresh terms of reference.

1980 के चुनावों के बाद नई सरकार के गठन पर न्यायमूर्ति गोस्वामी और उनके सहयोगियों ने पुनः इस्तीफा दे दिया। आयोग का पुनर्गठन न्यायमूर्ति मैथ्यू को अध्यक्ष बनाकर नए संदर्भ की शर्तों के साथ किया गया।

4



The second press commission wanted the press to be **neither a mindless adversary nor an unquestioning ally** to the government.

द्वितीय प्रेस आयोग चाहता था कि प्रेस न तो एक अंध विरोधी हो और न ही सरकार का बिना सवाल किए समर्थक।

SECOND PRESS COMMISSION (80-82)



- Second Press Commission was revived in April 1980 with Justice K.K. Mathew as its chairman.
- Its members included **Amrita Pritam, Rajendra Mathur, Girilal Jain, K.R. Ganesh and Madan Bhatia**.

- द्वितीय प्रेस आयोग को अप्रैल 1980 में न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू को अध्यक्ष बनाकर पुनः गठित किया गया।
- इसके सदस्यों में अमृता प्रीतम, राजेन्द्र माथुर, गिरिलाल जैन, के.आर. गणेश और मदन भाटिया शामिल थे।



- Second Press Commission expected the press to be **neither a mechanical opponent nor an automatic ally** of the government.

- द्वितीय प्रेस आयोग ने अपेक्षा की कि प्रेस न तो सरकार का यांत्रिक विरोधी हो और न ही उसका स्वतः समर्थक।



- It wanted the press to play a **significant role** in the development process in the country.
- The press should be **widely accessible to the people** if it is to reflect their aspirations and problems.

- आयोग चाहता था कि प्रेस देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
- यदि प्रेस को लोगों की आकांक्षाओं और समस्याओं को प्रतिबिंबित करना है, तो वह लोगों के लिए व्यापक रूप से सुलभ होना चाहिए।





SECOND PRESS COMMISSION (1978/80-82)

द्वितीय प्रेस आयोग (1978/80-82)



1

- An attempt should be made to establish a cordial relation between the government and the press.
सरकार और प्रेस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।



2

- For the development of small and medium newspaper, there should be establishment of Newspaper Development Commission.
छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के विकास के लिए समाचारपत्र विकास आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।



3

- Newspaper industries should be separated from industries and commercial interests.
समाचारपत्र उद्योगों को उद्योगों और व्यावसायिक हितों से अलग किया जाना चाहिए।



4

- There should be appointment of Board of Trustees between editors and proprietors of the newspaper.
समाचारपत्र के संपादकों और स्वामियों के बीच न्यासी मंडल की नियुक्ति की जानी चाहिए।



5

- Price-page schedule should be introduced.
मूल्य-पृष्ठ अनुसूची को लागू किया जाना चाहिए।

6

- There should be a fixed proportion of news and advertisements in small, medium and big newspaper.
छोटे, मध्यम और बड़े समाचारपत्रों में समाचार और विज्ञापनों का निश्चित अनुपात होना चाहिए।



7

- Newspaper industries should be relieved from the impact of foreign capital.
समाचारपत्र उद्योगों को विदेशी पूंजी के प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए।



8

- No predictions should be published in newspapers and magazines.
समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में कोई भविष्यवाणी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।



9

- The misuse of the image of the advertisement should be discontinued.
विज्ञापन की छबि के दुरुपयोग को बंद किया जाना चाहिए।



10

- The government should prepare a stable Advertisement Policy.
सरकार को एक स्थिर विज्ञापन नीति तैयार करनी चाहिए।



11

- The Press Information Bureau should be reconstituted.
प्रेस सूचना ब्यूरो का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।



SECOND PRESS COMMISSION RECOMMENDATIONS

द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशें

01



Establishment of a **Newspaper Development Commission** to help newspapers financially and in other ways.

समाचार पत्रों को वित्तीय और अन्य तरीकों से सहायता देने के लिए समाचार पत्र विकास आयोग की स्थापना।

02



An autonomous corporation for distribution of **Government advertisements** fairly and equitably.

Such distribution should apply also to private advertising.

सरकारी विज्ञापनों के निष्पक्ष और समान वितरण के लिए एक स्वायत्त निगम की स्थापना। यह वितरण निजी विज्ञापनों पर भी लागू होना चाहिए।

03



The Commission also recommends **price-page schedule** and **news-to-advertisement ratio**, and examines in detail the Supreme Court judgement in the Sakal case and judicial pronouncements in other cases.

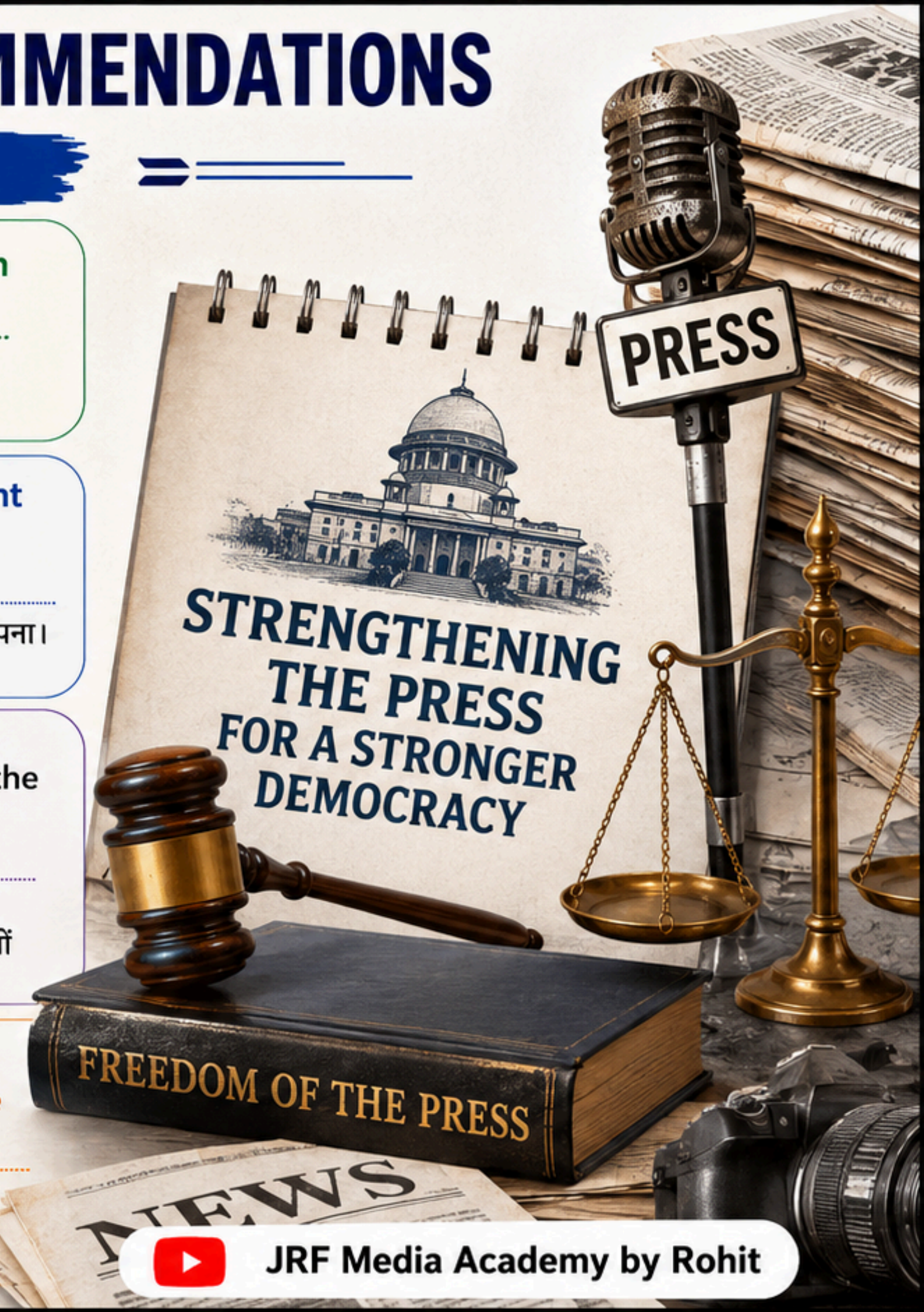
आयोग मूल्य-पृष्ठ अनुसूची और समाचार से विज्ञापन अनुपात की सिफारिश करता है, और सकल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा अन्य मामलों में न्यायिक निर्णयों की विस्तृत जांच करता है।

04



It is held that even an amendment to the **Constitution** for this purpose will not destroy or damage the **basic structure** of the **Constitution**.

यह माना जाता है कि इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन भी संविधान की मूल संरचना को नष्ट या क्षति नहीं पहुँचाएगा।



JRF Media Academy by Rohit

SECOND PRESS COMMISSION TIMELINE

द्वितीय प्रेस आयोग की महत्वपूर्ण समयरेखा

1975-1977

1978

1980

1982



EMERGENCY PROCLAIMED

President Fakhruddin Ali Ahmed proclaimed a state of national emergency in India on the advice of Prime Minister Indira Gandhi. The Emergency lasted from 1975 to 1977.

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल 1975 से 1977 तक चला।



SECOND PRESS COMMISSION SETUP

After the emergency was lifted, the new government of India constituted the Second Press Commission on May 29, 1978, under Justice P.C Goswami

आपातकाल हटने के बाद, भारत की नई सरकार ने 29 मई 1978 को न्यायमूर्ति पी.सी. गोस्वामी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन किया।



SECOND PRESS COMMISSION RECONSTITUTED

The commission was reconstituted in April 1980 under the chairmanship of Justice K.K.Mathew.

आयोग का पुनर्गठन अप्रैल 1980 में न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में किया गया।



REPORT SUBMITTED

The Second Press Commission of India submitted its report in 1982. The commission recommended that the free press should act as a constructive and responsible critic of the government.

द्वितीय प्रेस आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सिफारिश की कि मुक्त प्रेस सरकार का एक रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचक होना चाहिए।



JRF Media Academy by Rohit



RECOMMENDATIONS FOR LAWS

कानूनों के लिए सिफारिशें



Defamation

- The Commission has recommended amendments to the law of defamation to make it less one-sided and extend the area of fair comment and privilege.

मानहानि के कानून में संशोधन की सिफारिश की गई है ताकि यह एकतरफा न हो और उचित टिप्पणी व विशेषाधिकार का दायरा बढ़े।



The Second Press Commission which describes defamation as "Tale of two interests".

द्वितीय प्रेस आयोग ने मानहानि को "दो हितों की कहानी" बताया है।



- The Commission has recommended amendments to the law of defamation to make it less one-sided and extend the area of fair comment and privilege.

मानहानि के कानून में संशोधन की सिफारिश की गई है ताकि यह एकतरफा न हो और उचित टिप्पणी व विशेषाधिकार का दायरा बढ़े।



- Truth and public benefit can be good defence and the right of reply should be normal.

सत्य और सांख्यिक हित एक अच्छा बचाव हो सकता है और प्रत्युत्तर का अधिकार सामान्य होना चाहिए।



OTHER LEGAL RECOMMENDATIONS अन्य कानूनी सिफारिशें



- The privileges of legislators are to be codified so that they may become justifiable and expunged matter can be published within limits.

विधायकों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाए ताकि वे उचित ठहराए जा सकें और हटाई गई जानकारी सीमाओं के भीतर प्रकाशित की जा सके।



- Much of the Indian Official Secrets Act has to be scrapped and replaced by a Freedom of Information Act.

भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अधिकांश भाग को समाप्त करके सूचना के अधिकार अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।



- The right to privacy is a nebulous concept. A beginning to protect it can be made in this country on the lines of similar steps in other countries.

गोपनीयता का अधिकार एक अस्पष्ट अवधारणा है। इसे अन्य देशों में उठाए गए समान कदमों के आधार पर इस देश में भी संरक्षित करने की शुरुआत की जा सकती है।

ON MORAL CODE OF CONDUCT नैतिक आचार संहिता पर



- After studying various codes of conduct, the Commission has come to the conclusion that it would not be desirable to draw up a code of conduct for newspapers.

विभिन्न आचार संहिताओं का अध्ययन करने के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता बनाना उचित नहीं होगा।



- As the Press Council has maintained, such a code be built up case by case over a period of time.

जैसा कि प्रेस परिषद ने माना है, ऐसी संहिता समय के साथ मामला दर मामला विकसित की जानी चाहिए।



Q1

The Second Press Commission which describes law as “Tale of two interests”.

द्वितीय प्रेस आयोग ने कानून को “दो हितों की कहानी” के रूप में वर्णित किया है।

- (A) Contempt of Court
अदालत की अवमानना
- (B) Freedom of Press
प्रेस की स्वतंत्रता
- (C) Sovereignty
संप्रभुता
- ✓ (D) Defamation
मानहानि

The Second Press Commission which describes law as “Tale of two interests”.

द्वितीय प्रेस आयोग ने कानून को “दो हितों की कहानी” के रूप में वर्णित किया है।



Q2

The second press commission of India did not favour a code of ethics that was

भारत के द्वितीय प्रेस आयोग ने ऐसे आचार संहिता का समर्थन नहीं किया जो था

- (A) Informal
अनौपचारिक
- ✓ (B) Formal
औपचारिक
- (C) personal
व्यक्तिगत
- (D) substantial
महत्वपूर्ण



The second press commission of India did not **favour** a **code of ethics** that was

भारत के द्वितीय प्रेस आयोग ने ऐसे आचार संहिता का **समर्थन नहीं किया** जो था



JRF Media Academy by Rohit